"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2011—चैत्र 18, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुक्त उद्योग एवं सचिव, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री प्रसन्ना द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2005), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-15/2005/1-सूअप्र.—राज्य शासन, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करता है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	—	अध्यक्ष
2.	माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा	—	सदस्य
3.	माननीय श्री राम विचार नेताम, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि एवं विधायी कार्य छत्तीसगढ़ शासन.	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhavan, Raipur

Raipur, the 22nd March 2011

No. 584/175/2011/1-8/Estt.—Sanction is hereby accorded for earned leave for the period from 18-04-2011 to 13-05-2011 (26 days) to Shri N. K. Bhattar, Registrar and Deputy Secretary, Govt. of Chhattisgarh, General Administration Department.

2. During the leave period of Shri N. K. Bhattar, Shri S. K. Ali, Under Secretary, General Administration Department will look after the work of Shri Bhattar along with his own work.

3. Shri N. K. Bhattar will be reposted to the post of Registrar and Deputy Secretary, General Administration Department after returning from his leave.

4. During the leave period he will be entitled to get leave salary and other allowances as he entitled to get previously.

5. Certified that if not proceeded on leave Shri Bhattar will continue to work on the post of Registrar and Deputy Secretary, General Administration Department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-12/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चंद्रपुर, निवेश क्षेत्र, जिला जांजगीर-चांपा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

चंद्रपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मड़वा, सिरौली एवं बिरहाभाठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम बिरहाभाठा, पलसदा, बिलाईगढ़, चंदेली, महादेवपाली, कलमा एवं बालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बालपुर, कलमा, महादेवपाली, चंद्रपुर एवं काशीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम काशीडीह, मिरौनी एवं मड़वा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-08/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए केशकाल, निवेश क्षेत्र, जिला जगदलपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

केशकाल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गढ़सिलयारा, सुरडोंगर एवं गोरगांव ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गोरगांव, कोदाभाटा एवं व्यालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम व्यालपुर, जामगांव, बोरगांव एवं बटराली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बटराली, सरगीपाल, तुमसकोनाड़ी एवं गढ़सिलयारा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-09/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सारागांव, निवेश क्षेत्र, जिला जांजगीर-चांपा का गठन करती

है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

सारागांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कमरीद, जाटा, अमरूवा एवं दर्री ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम दर्री, नावागांव, रिसदा, परसापाली एवं चोरिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चोरिया, झर्रा एवं पचोरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पचोरी, मुड़पार, अफरीद एवं कमरीद ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-10/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भखारा, निवेश क्षेत्र, जिला धमतरी का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

भखारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सिलघट, सुपेला, सेमरा, सिंगदेही, जोरातराई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कर्रा, खपरी, कोलियारी, जोरातराई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम गातापार, कोसमर्रा, सिहाद, कुर्रा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सिलघट, गाड़ाडीह, रामपुर, बोरझरा, गातापार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक एफ 7-11/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राहौद निवेश क्षेत्र, जिला जांजगीर-चांपा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

राहौद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मेंहदी, बुंदेली एवं बिलारी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम बिलारी, कोहका, धरदेही एवं देवरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम देवरी, हड़हा, तनौद एवं खोखरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

प्रश्चिम में : ग्राम खोखरी, पकरिया, महका एवं मेंहदी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	रानीअटारी	6.962	मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल चिरमिरी एरिया.	आवास गृह निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 मार्च 2011

क्रमांक-189 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 04	0.343	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा.	बायीं तट नहर तटबंध में बोल्डर पिचिंग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 14 मार्च 2011

क्रमांक/1460/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कन्हनपुरी	7.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

कांकेर, दिनांक 18 मार्च 2011

क्रमांक/1641/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	बरदेभाठा	1.609	तहसीलदार कांकेर	नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 9 मार्च 2011

क्रमांक/3349/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भोपालपटनम	गोल्लागुड़ा	0.74	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन हिरक परियोजना कैम्प कारली दन्तेवाड़ा.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 202 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (आरे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	खैरघट प. ह. नं. 12	805	0.05	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर छ.ग.	सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			803	0.16		
			802	0.20		
			807/2	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			795	0.04		
			800	0.01		
			798/1	0.10		
			816	0.15		
			819/2	0.10		
			822	0.19		
			819/1	0.13		
			737	0.11		
			735	0.05		
			736	0.11		
			824	0.01		
			820	0.19		
			706	0.13		
			595	0.02		
			707	0.06		
			685/1	0.11		
			685/2	0.15		
			599/1	0.01		
			685/5	0.01		
			798/2	0.03		
			680	0.03		
			681	0.03		
			678	0.09		
			594	0.03		
			676	0.08		
			606	0.09		
			578	0.13		
			605/1	0.02		
			605/4	0.09		
			599/2	0.03		
			602	0.05		
			599/3	0.02		
			685/4	0.01		
			593	0.06		
			596	0.11		
			434	0.01		
			437	0.05		
			435	0.03		
			436	0.05		
			426	0.13		
			408	0.02		
			409	0.11		
			259	0.06		
			410	0.03		
			411	0.03		
			412	0.04		
			415	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			260	0.13		
			261	0.01		
			262	0.04		
			268	0.16		
			269	0.06		
			285	0.14		
			288	0.10		
			289	0.22		
			290	0.01		
			296	0.10		
			298	0.06		
			297/1	0.09		
			295	0.04		
			297/2	0.09		
			293	0.01		
			294	0.03		
			216	0.17		
		योग		5.20		

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

क्रमांक/भू-अर्जन/प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ प. ह. नं. 06	685/1	0.008	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदा बाजार.	पवनी बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
			685/10	0.020		
			685/8	0.010		
			685/9	0.010		
			686	0.020		
			694/1	0.016		
		योग	6	0.084		

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	राजिम	राजिम प. ह. नं. 09	2	0.028 (3260 वर्गफीट)	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	अभनपुर - राजिम - गरियाबंद मार्ग के किलो मीटर 45/6 से 46/2 पर महानदी सेतु व पहुंच मार्ग का कार्य.
		योग	**1**	**0.028**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 मार्च 2011

क्रमांक/2017/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	झींका प. ह. नं. 21	0.109	कार्यपालन अभियंता, लो.नि. विभाग (भ/स) राजनांदगांव.	सुखरी झींका दीवानभेड़ी मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2175/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 06	0.995	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के खैरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2176/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 06	2.785	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के खैरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2177/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	झींका प. ह. नं. 21	1.167	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सुखरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2178/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	खैरी प. ह. नं. 06	2.471	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के खैरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2179/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	दीवानभेड़ी प. ह. नं. 21	1.873	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के दीवानभेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2180/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	झींका प. ह. नं. 21	2.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के दीवानभेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2011

क्रमांक/2181/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मनेरी प. ह. नं. 13	1.404	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक/2228/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कासमसुर प. ह. नं. 13	0.985	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक/2229/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	जामसरार प. ह. नं. 13	3.590	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के जामसरार माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक/2230/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 20	0.976	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के घुघवा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक/2231/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुगेरी नवागांव प. ह. नं. 14	2.003	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के बरगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक/2232/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुगेरी नवागांव प. ह. नं. 14	1.604	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के गुगेरी नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	धनौरा प. ह. नं. 56	0.150	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अर्जन हेतु पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	खोलवा प. ह. नं. 56	1.064	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत आने वाली दुल्लापुर वितरक नहर में अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	कटोरी प. ह. नं. 56	0.195	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली दुल्लापुर वितरक नहर में अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पेण्ड्रीतराई प. ह. नं. 56	0.174	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली नूनछापर वितरक नहर में अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	भादूटोला प. ह. नं. 46	0.100	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर में अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पवनतरा प. ह. नं. 50	0.200	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत आने वाली मुख्य नहर में अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 46	2.197	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	कर्रानाला बैराज परि-योजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक शाखा नहर के पूरक अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	धनगांव प. ह. नं. 57	0.239	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण में पूरक.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोहगांव प. ह. नं. 59	0.036	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग स. लोहारा, जिला. कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण में पूरक.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कबीरधाम, दिनांक 23 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र. 19/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पिपरिया प. ह. नं. 15	0.080	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग राजनांदगांव (छ.ग.)	पिपरिया झिरना मार्ग पर सकरी नदी के पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में अर्जित.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 19/अ-82/10-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	0.10	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर.	पहुंच मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक 24/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सारबहरा	1.421	मुख्य अभियंता (निर्माण-1), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.)	सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 01/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गांगपुर	21.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	दर्री व्यपवर्तन योजना में शीर्ष कार्य में डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 02/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पड़खुरी	2.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 3/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बरवासन	2.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 4/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	खैरझिटी	3.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	दर्री व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 19/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	लोहर्सी प. ह. नं. 51	3.30	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोंगरा जलाशय बांध कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 20/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	[illegible]	[illegible]	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पोंड़ी एनीकट पहुंच [illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 22/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरगांव	3.014	मुख्य अभियंता (निर्माण-1), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.)	सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 25/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पुतरकोनी	7.613	मुख्य अभियंता (निर्माण-1), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.)	सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	ससकोबा	0.230	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायगढ़.	तिलडेगा ससकोबा मार्ग के कि.मी. 7/4 पर भरारी नाला पर सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कटौंद प. ह. नं. 01	3.897	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कटौद व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	केवाली प. ह. नं. 01	3.825	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कटौद व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	नौरंगपुर प. ह. नं. 14	0.142	कार्यपालन अभियंता, लोनिवि सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	भालूनारा नवरंगपुर मार्ग पर मांड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	गुरदा प. ह. नं. 5	0.603	कार्यपालन अभियंता, लोनिवि सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	भालूनारा नवरंगपुर मार्ग पर मांड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कलमीपाठ प. ह. नं. 9	0.212	कार्यपालन अभियंता, लोनिवि सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	तुरेकेला बगदेवा कलमीपाठ पर सपनई नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	रैरूमाखुर्द प. ह. नं. 14	0.405	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	रैरूमाखुर्द भालूपखना मार्ग पर निर्माणाधीन मांड नदी पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बर्रा प. ह. नं. 3	2.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बर्रा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	काफरमार प. ह. नं. 2	2.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पोड़ी जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तुपकधार प. ह. नं. 39	0.799	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अन्तर्गत कलमा माइनर-2 नहर आर. डी. क्र.-378 मी. से 708 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	ठेंगागुड़ी प. ह. नं. 40	2.071	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अन्तर्गत बुनगा माइनर-1 नहर आर. डी. क्र.-1500 मी. से 2520 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 71/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तिलगी प. ह. नं. 38	2.166	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अन्तर्गत तिलगी माइनर नहर आर. डी. क्र.-0.00 मी. से 900 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रनभाठा प. ह. नं. 40	1.494	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अन्तर्गत बुनगा माइनर-2 नहर आर. डी. क्र.-1395 मी. से 1875 मी. एवं 2145 मी. से 2415 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 73/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियभ, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा प. ह. नं. 39	3.331	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अन्तर्गत बेलपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 1050 से 276[illegible] मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	चपले प. ह. नं. 15	0.279	कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो परियोजना नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की के अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	टेमटेमा प. ह. नं. 15	0.379	कार्यपालन अभियंता, मिनी माता बांगो परियोजना नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की के अन्तर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिरहाभांठा	1.004	केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा स्थायी मुख्यालय, खरसिया.	अंमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/255.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सकराली प. ह. नं. 13	1.341	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सकराली माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक 5560 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा प. ह. नं. 2	188.55	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चाम्पा (छ. ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक 5562 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	टुण्ड्री प. ह. नं. 2	84.96	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चाम्पा (छ. ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	मोहनपुर	181.13	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.	शंकरपुर (भटगांव-2) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-धरमपुर में कोल उत्खनन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	तुलसी	3.44	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.	शंकरपुर (भटगांव-2) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-धरमपुर में कोल उत्खनन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	शंकरपुर	171.41	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर.	कोयला उत्खनन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	धरमपुर	131.71	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.	शंकरपुर (भटगांव-2) एवं एक्सटेंशन कोल ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-धरमपुर में कोल उत्खनन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2011

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रतापपुर	मायापुर	419.26	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर.	कोयला उत्खनन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनन्जय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 14 मार्च 2011

क्रमांक/1463/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-चारामा
- (ग) नगर/ग्राम-भिरौंद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/1	0.04
56/2	0.07
57/2	0.19
58	0.10
59	0.04
62	0.06
63	0.05
64	0.05
65	0.03
71/1	0.03
72	0.08
73	0.33
74/1	0.03
80/1	0.10
201/209	0.24
202	0.04
206	0.13
208	0.08
251, 253/2	0.17

(1)	(2)
252	0.08
239	0.03
योग	1.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चारामा-भिरौंद मार्ग के कि.मी. 2/2 महानदी घाट पर सेतु पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पेमला, प. ह. नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.064
615	0.124
614	0.124
524	0.040
530	0.176
585	0.144
494	0.360
योग 7	1.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के आर.बी.सी. शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-कोतबा, प. ह. नं. 39
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.378 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277/2, 278	0.016
126	0.008
279/9 ख	0.096
276	0.040
285	0.008
286/2	0.029
330/2	0.028
331/2	0.024
329/3	0.153

(1)	(2)
321/2	0.081
986/2	0.069
1082/10	0.194
1091/1	0.020
1368/1	0.061
1409/4	0.053
1412	0.065
1409/3	0.065
127/1	0.053
279/6	0.008
996/1	0.071
286/4 क	0.113
330/4	0.004
329/4	0.049
382/1	0.048
986/4	0.073
1093/5	0.073
1088/4	0.324
1054/1	0.218
1369/3	0.037
1424/1	0.022
1423/3	0.117
1423/1	0.069
127/3	0.052
277/1, 278	0.186
283/3	0.033
290	0.052
330/3	0.016
314/2, 315/4, 229/2	0.010
315/6	0.031
460/1479/1क	0.053
1100	0.122
1093/4	0.057
1425/3	0.041
1367/1 घ	0.085
1390/1	0.218
1424/5	0.081
1332/1	0.085
277/2	0.061
277/5, 278	0.162
284/1	0.097
330/1	0.008
332	0.085
318/3	0.206
323/2, 324/2, 379/2	0.057
473/1, 987	0.033
1101	0.027
1093/3	0.025
1367/1 क	0.011
1390/7	0.081
1424/4	0.081
1102	0.033
योग 61	4.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-पुसौर
  (ग) नगर/ग्राम-बड़ेभंडार, प. ह. नं. 39
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
286/2, 374/2ख	0.109

	(1)	(2)
	202/4	0.085
योग	02	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	558/4	0.010
योग	01	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेला, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.038 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	160/1	0.038
योग	01	0.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केडार जलाशय के सब माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोराघाटी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.875 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	54	0.366
	59/1	0.300
	60/2	0.243
	72/5	0.065
	90/1	0.130
	60/1	0.081
	59/3	0.198
	72/2 क	0.037
	76	0.200
	90/2	0.121
	53	0.450
	59/2	0.109
	72/2 ख	0.061
	77	0.300
	116/2	0.214
योग	15	2.875

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लाथनाला व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शीर्ष कार्य एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरापाली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
343/2 ख	0.105
358/1	0.028
359	0.028
348/1	0.040
3482/2	0.061
348/3	0.040
348/4	0.067
349/1	0.067
349/2	0.063
350	0.125
351	0.148
361	0.032
352/1	0.009
366/2	0.028
367/2	0.005
352/2	0.068
366/1	0.028
367/1	0.053
352/3	0.081
366/4	0.024
352/4	0.068
357/1	0.018
445	0.008
353	0.168
354/2	0.104
363	0.020
355/1	0.042
356	0.043
364/1	0.037
355/2	0.004
356	0.004
355/3	0.004
356	0.004
357/3	0.028
360/1	0.028,
368	0.024

	(1)	(2)
	347/2	0.024
	362/1	0.032
	365	0.069
	366/5	0.024
	368/1	0.040
	347/2	0.040
	368/1	0.072
	347/2	0.073
	440/1	0.028
	447/3	0.008
योग	46,	2.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लाथनाला व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शीर्ष कार्य एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/516/क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-सिलतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	106	0.60
योग	1	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणं भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/517/क/भू-अर्जन/6 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-तिर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	525/3	0.37
	539/2	0.08
	539/1	0.07
योग	3	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/518/क/भू-अर्जन/5 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-माटेगहन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10	0.40
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/519/क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-कोलियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141/1	0.80
	76	0.18
	77	0.16
	152/1	0.07
योग	4	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 मार्च 2011

क्रमांक/2018/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरबना, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
340/1	0.25
341/2	0.30
362/1	0.49
363/1	0.25
382/1	0.84
397	1.00
399/1	0.30
398	1.44
399/5	0.19
490/3	0.88
441	0.30
413/1	0.51
442	0.31
443	0.30
459/1	0.21
432/1	0.10
485/4	0.91
401	1.22
407/1	0.97
432/3	0.32
432/2	0.35
460/1	1.00
482/1	0.30
483/2	0.66
483/4	0.39
433	0.79
399/3	0.30
487/1	0.35
447/2	0.18
448/1	0.30
485/1	1.00
486/1	0.70
487/4	0.90
योग 33	18.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरबना जलाशय के बांधपार सड़क एवं डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/2280/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प. ह. नं. 67/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	115/1	0.45
योग	1	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/2281/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 69/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.33 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	386/3	0.96
	35/1	0.12
	83	0.30
	32	0.13
	384/2	0.55
	384/1	0.42
	34	0.45
	386/2	0.28
	63	0.47
	33	0.11
	36/1	0.54
योग	11	4.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/2282/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प. ह. नं. 67/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	435/21	1.21
	447/3	0.41
योग	2	1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक/02/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ.ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़ी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
449	0.50
552	1.00
453/1	0.30
453/2	0.30
योग	2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोंडी कंचनपुर मार्ग पर अरपा सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 3/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.76 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	122/2	2.76
योग	1	2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाघरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 20/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धनौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.91 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	509/1 ब	0.14
	506	0.41
	669/1	0.10
	508/1ग	0.75
	509/1स	0.14
	509/1ध	0.75
	670	0.04
	672	0.14
	675	0.34
	209/14	4.00
	679/76	1.10
योग	11	7.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पकरीकछार जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 21/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	19/2	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घघरा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 20/क/अविअ/भू.अ./01 अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-साजापाली, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/1	0.09
94/3	0.01
94/4	0.04
228/1	0.01
100	0.12
153/1	0.08
153/2	0.03
164	0.07
633	0.05
165	0.13
189	0.10
575	0.06
632	0.06
720	0.09
191	0.04
329/3	0.03
199	0.08
201	0.01
227	0.04
178/1	0.11
178/5	0.03
190	0.07
240	0.01
568	0.08
192/2	0.09
250	0.03
569/1	0.04
576	0.01
229	0.01
249	0.03
256	0.04
255	0.04
569/2	0.04
574/2	0.04
326	0.04
322	0.02

	(1)	(2)
	319	0.01
	320	0.01
	321	0.01
	567	0.03
	627	0.04
	695	0.12
	714	0.01
	688	0.07
	718	0.13
	711	0.05
	710	0.01
	721/5	0.01
	111/2	0.03
	334/2	0.01
	126/3	0.07
	126/4	0.08
	248/1	0.08
	234/1	0.01
	318/1	0.05
	318/5	0.05
	318/2	0.01
	233	0.01
	717/1	0.01
	687	0.02
योग	60	2.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्रापाली जलाशय योजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 23/क/अविअ/भू.अ./02 अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-जम्हारी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
130	0.03
131	0.06
366	0.09
132	0.03
128	0.13
149/1	0.03
149/2	0.05
153/2	0.01
151	0.11
154	0.01
155	0.03
156	0.01
282	0.04
283	0.08
286	0.05
315	0.02
309	0.01
310	0.03
612	0.04
307	0.01
311	0.02
312	0.05
631	0.10
646	0.08
313	0.02
436	0.01
615	0.04
308	0.03
367	0.02
438	0.07
614	0.08
437	0.06
440	0.10
434	0.01
617	0.09
629	0.06

(1)	(2)
669	0.14
630	0.04
648	0.04
649	0.01
645	0.06
641	0.04
642	0.01
643	0.08
165	0.01
654/2	0.04
655	0.05
316	0.06
योग 48	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्रापाली जलाशय योजना के दायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 18/क/अविअ/भू.अ./03 अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-पोटापारा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23	0.19
योग 1	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थीपापानी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 21/क/अविअ/भू.अ./04 अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
268/1	0.05
268/3	0.01
268/2	0.03
267	0.02
249	0.01
252	0.08
253	0.08
255	0.03
257/2	0.15

(1)	(2)
269	0.01
250	0.21
251	0.09
254	0.05
213	0.07
228	0.01
256	0.03
214	0.08
227	0.12
231	0.14
232	0.01
246	0.05
225	0.02
158	0.15
226	0.14
224	0.44
210	0.22
211	0.06
212	0.15
91	0.16
106	0.04
110	0.10
121	0.02
144	0.21
155	0.11
152	0.07
108	0.11
103	0.15
143/2	0.04
143/1	0.04
107	0.08
109	0.12
156	0.17
112	0.42
115	0.01
100	0.24
242	0.01
योग 46	4.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 22/क/अविअ/भू.अ./05 अ-82 वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गुठानीपाली, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136	0.03
138	0.07
142	0.01
182	0.01
139	0.23
171	0.15
140	0.20
141	0.20
128	0.07
135	0.02
121	0.01
129	0.15
122	0.01
94	0.05
107	0.13
91	0.02
120	0.18
108	0.01
95	0.06
106	0.08
110	0.14
109	0.02
111	0.13
17	0.18
93	0.30
22	0.07

	(1)	(2)
	21	0.01
	16	0.11
	11	0.01
	10	0.23
	130	0.04
	12	0.08
योग	32	3.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक 19/क/अविअ/भू.अ./09 अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बांदूपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	83	0.10
	83	0.04
	214, 216	0.08
	88	0.12
	83	0.03
	83	0.10
	219	0.01
	143	0.01
	123	0.04
	188, 212	0.08
	90	0.01
	167	0.02 0.03
	189	0.01
	90	0.09
	184, 192	0.06
	182, 183, 193, 194	0.06
योग	22	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदलीमाल जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड

बीज भवन (भू-तल), छत्तीसगढ़ होटल के सामने, जी. ई. रोड, रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574.—छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 सहपठित धारा 57 की उपधारा (एक) का खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नानुसार तालिका में दर्शित प्रदेश के मंडी समितियों के लिए निर्वाचित मंडी समितियों की कालावधि का अवसान होने से अवसान तिथि के आगामी तिथि से अधोलिखित तालिका में दर्शित प्रत्येक मंडी के लिए, उनके समक्ष उल्लेखित अधिकारी को, संबंधित मंडी के भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया

जाता है. संबंधित मंडी के भारसाधक अधिकारी, मंडी समिति के कालावधि के अवसान होने की तिथि से आगामी तिथि के पूर्वान्ह को प्रभार ग्रहण करेंगे.

क्र.	जिला	मंडी समिति का नाम	मंडी की श्रेणी	निर्वाचित मंडी समिति के कालावधि के अवसान की तिथि	भारसाधक अधिकारी का नाम/पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	अ	19-02-2011	श्री आर.एल. खरे, उपसंचालक कृषि राजनांदगांव
2.		बांधाबाजार	स	19-02-2011	श्री एल.आर. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बांधाबाजार
3.		खैरागढ़	स	19-02-2011	श्री के.पी. सिंह, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, खैरागढ़
4.		डोंगरगांव	स	23-02-2011	श्री जी.डी. तिवारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, राजनांदगांव
5.		छुरिया	स	23-02-2011	श्री डी.एल. हटिले, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुरिया
6.	महासमुंद	सरायपाली	ब	24-02-2011	श्री अरविंद शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
7.		पिथौरा	स	24-02-2011	श्री एल.सी. कटरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पिथौरा
8.		महासमुंद	ब	25-02-2011	श्री एस.एन. मोटवानी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
9.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	स	26-02-2011	श्री जे.पी. बिसेन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डोंगरगढ़
10.	धमतरी	धमतरी	अ	26-02-2011	श्री बी.एल. गजपाल, डिप्टी कलेक्टर, धमतरी
11.		कुरूद	अ	26-02-2011	सुश्री पद्मनी भोई, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व धमतरी
12.		नगरी	ब	26-02-2011	श्री डी.एस. पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नगरी
13.	महासमुंद	बागबाहरा	ब	26-02-2011	श्री एन.आर. चन्द्रा, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, बागबाहरा
14.		बसना	ब	26-02-2011	श्री आर. के. कश्यप, अनुविभागीय अधिकारी कृषि बसना
15.	सरगुजा	अंबिकापुर	स	27-02-2011	श्री एस.पी. बीरा, उपसंचालक कृषि, अंबिकापुर
16.		रामानुजगंज	स	27-02-2011	श्री वी.पी. घिल्ले, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, अंबिकापुर
17.		सीतापुर	द	27-02-2011	श्री पीताम्बर दीवान, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, सीतापुर
18.		प्रतापपुर	द	27-02-2011	श्री प्रेमशंकर उपाध्याय, अनु.वि. कृषि अधिकारी, प्रतापपुर
19.		सुरजपुर	स	27-02-2011	श्री अमृतलाल ध्रुर्वे, अनु.वि. अधिकारी, राजस्व सुरजपुर
20.		कुसमी	द	27-02-2011	श्री ओमप्रकाश सिंह, अनु.वि. अधिकारी, राजस्व कुसमी
21.	रायपुर	भटगांव	स	27-02-2011	श्री तीरथराम धृतलहरे, वरि.कृ.वि. अधिकारी, बिलईगढ़
22.		नेवरा	ब	27-02-2011	श्री एस.पी. गुरदे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नेवरा
23.		राजिम	ब	27-02-2011	श्री के. एस. दीवान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, फिंगेश्वर
24.	दुर्ग	दुर्ग	अ	27-02-2011	श्री पी.एस. एल्मा, अपर कलेक्टर, दुर्ग
25.		बालोद	अ	27-02-2011	श्री आर. के. शर्मा, अनु.वि.कृषि अधिकारी, बालोद
26.		बेमेतरा	ब	27-02-2011	श्री किशोर कुमार भद्रावले, अनु.वि.कृषि अधिकारी, बेमेतरा
27.	कबीरधाम	कवर्धा	ब	27-02-2011	श्री आर. के. राठौर, उपसंचालक कृषि, कवर्धा
28.		पण्डरिया	स	27-02-2011	श्री आर.एस. गुप्ता, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कवर्धा
29.	रायगढ़	रायगढ़	अ	27-02-2011	श्री गयाराम, उपसंचालक, कृषि रायगढ़
30.		सारंगढ़	ब	27-02-2011	श्री जी.टी. गोस्वामी, वरि.कृ.वि. अधिकारी, सारंगढ़
31.		बरमकेला	द	27-02-2011	श्री के.एन. डडसेना, वरि.कृ.वि. अधिकारी, बरमकेला
32.		घरघोड़ा	स	27-02-2011	श्री आर.एन. राव, वरि.कृ.वि. अधिकारी, घरघोड़ा
33.		खरसिया	ब	27-02-2011	श्री जे. एन. बिग, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, खरसिया
34.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	द	27-02-2011	श्री ए.पी. पटेल, उपसंचालक कृषि, बैकुण्ठपुर
35.		मनेन्द्रगढ़	द	27-02-2011	श्री इरशाद अहमद, तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़
36.	कोरबा	कटघोरा	स	27-02-2011	श्री आर. जी. अहिरवार, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कटघोरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	रायपुर	नवापारा	अ	28-02-2011	श्री शरीफ मोहम्मद खान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आरंग अभनपुर.
38.		भाटापारा	अ	28-02-2011	श्री डी.एस. कुंजाम, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व भाटापारा
39.		आरंग	ब	28-02-2011	श्री एल.पी. अहिरवार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, रायपुर
40.		गरियाबंद	स	28-02-2011	श्री आर.के. मेहरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गरियाबंद
41.		कसडोल	स	28-02-2011	श्री आर.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7717.—छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 सहपठित धारा 57 की उपधारा (एक) का खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नानुसार तालिका में दर्शित प्रदेश के मंडी समितियों के लिए निर्वाचित मंडी समितियों की कालावधि का अवसान होने से अवसान तिथि के आगामी तिथि से अधोलिखित तालिका में दर्शित प्रत्येक मंडी के लिए, उनके समक्ष उल्लेखित अधिकारी को, संबंधित मंडी के भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है. संबंधित मंडी के भारसाधक अधिकारी, मंडी समिति के कालावधि के अवसान होने की तिथि से आगामी तिथि के पूर्वान्ह को प्रभार ग्रहण करेंगे.

क्र.	जिला	मंडी समिति का नाम	मंडी की श्रेणी	निर्वाचित मंडी समिति के कालावधि के अवसान की तिथि	भारसाधक अधिकारी का प्रस्तावित नाम/पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	बलौदाबाजार	ब	01-03-2011	श्री ए.एस. सिसोदिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बलौदा-बाजार.
2.		अभनपुर	स	01-03-2011	श्री एम.एल. साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, अभनपुर
3.	जांजगीर-चांपा	नैला जांजगीर	ब	01-03-2011	श्री एम.आर.चेलक, डिप्टी कलेक्टर, नैला जांजगीर
4.		आमनदुल्ला	द	01-03-2011	श्री डी.के. व्यवहार, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि सक्ती.
5.		जैजैपुर	द	01-03-2011	श्री बी.आर.लदेर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जैजैपुर
6.		चांपा	स	01-03-2011	श्री एस.के. सोनी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, चांपा
7.		अकलतरा	ब	01-03-2011	श्री एस.एस. दुबे, तहसीलदार, अकलतरा
8.		सक्ती	अ	01-03-2011	श्री मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सक्ती
9.	बिलासपुर	बिलासपुर	अ	03-03-2011	श्री सी.एन. सिंह, संयुक्त संचालक कृषि, बिलासपुर
10.		मुंगेली	ब	03-03-2011	श्री युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार, मुंगेली
11.		कोटा	स	03-03-2011	श्री बी.आर. ध्रुव, तहसीलदार, कोटा
12.	कांकेर	कांकेर	स	05-03-2011	श्री कपीलदेव दीपक, उपसंचालक कृषि, कांकेर
13.		संबलपुर	स	05-03-2011	श्री रमेश प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, भानुप्रतापपुर
14.		चारामा	स	05-03-2011	श्री आनंद नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, चारामा
15.	जशपुरनगर	जशपुरनगर	द	05-03-2011	श्री जे.आर. बरिहा, डिप्टी कलेक्टर, जशपुर
16.		कुनकुरी	द	05-03-2011	श्री ए.आर. ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, कुनकुरी
17.		पत्थलगांव	स	05-03-2011	श्री सतीष कुमार सिंह, अनुविभागीय कृषि विकास अधिकारी, पत्थलगांव.
18.		बगीचा	द	05-03-2011	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, तहसीलदार, बगीचा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	जगदलपुर	जगदलपुर	अ	05-03-2011	श्री फुलसिंह नेताम, अंपर कलेक्टर, जगदलपुर
20.		कोण्डागांव	स	05-03-2011	श्री बालसिंह बघेल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कोण्डागांव
21.	नारायणपुर	नारायणपुर	ब	05-03-2011	श्री प्रकाश कुमार सर्वे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नारायणपुर
22.	कांकेर	केशकाल	स	05-03-2011	श्री एस.के. नाग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, केशकाल
23.	बिलासपुर	जयरामनगर	स	07-03-2011	श्री आर.के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मस्तुरी
24.		लोरमी	स	07-03-2011	श्री आर. के. पाठक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, लोरमी
25.		तखतपुर	स	07-03-2011	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तखतपुर.
26.	बीजापुर	कोन्टा	स	08-03-2011	श्री एस.पी. वैद्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोन्टा
27.		बीजापुर	द	08-03-2011	श्री नरहरिदास, उपसंचालक कृषि, बीजापुर
28.	बीजापुर	गीदम	स	08-03-2011	श्री एस.एस. ध्रुव, उपसंचालक कृषि, दंतेवाड़ा
29.		भोपालपट्टनम	द	08-03-2011	श्री सुकुल सिंह बल्के, तहसीलदार, भोपालपट्टनम

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 02

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7771.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 13 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा जिला महासमुंद के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में, त्रुटिवश श्री एन.आर. चन्द्रा, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि बागबाहरा टंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए एतद्द्वारा, श्री एन.आर. चन्द्रा, के स्थान पर श्री एन.आर. चन्द्राकर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि महासमुंद को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा नियुक्त किया जाता है. श्री एन. आर. चन्द्राकर मंडी समिति बागबाहरा के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति बागबाहरा के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 03

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7874.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 20 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला सरगुजा के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में, नियुक्त श्री ओमप्रकाश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कुसमी, का स्थानांतरण हो जाने के कारण, उक्त आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ओमप्रकाश सिंह, के स्थान पर श्री राकेश कुमार भारती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुसमी को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति कुसमी नियुक्त किया जाता है. श्री राकेश कुमार भारती मंडी समिति कुसमी के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति कुसमी के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 04

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7919.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 18 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर जिला सरगुजा के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री प्रेमशंकर उपाध्याय, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, प्रतापपुर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए एतद्द्वारा, श्री प्रेमशंकर उपाध्याय, के स्थान पर श्री एस. के. प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी कृषि प्रतापपुर को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर नियुक्त किया जाता है. श्री एस. के. प्रसाद मंडी समिति प्रतापपुर के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति प्रतापपुर के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 05

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7921.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 10 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में, नियुक्त श्री बी. एल. गजपाल, डिप्टी कलेक्टर धमतरी, का स्थानांतरण कुरूद हो जाने के कारण, उक्त आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. एल. गजपाल के स्थान पर सुश्री पद्मनी भोई, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति धमतरी नियुक्त किया जाता है. सुश्री पद्मनी भोई मंडी समिति धमतरी के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति धमतरी के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 06

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7923.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7574, रायपुर दिनांक 17-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 11 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में, नियुक्त सुश्री पद्मनी भोई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद, का स्थानांतरण धमतरी हो जाने के कारण, उक्त आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री पद्मनी भोई के स्थान पर श्री बी.एल. गजपाल डिप्टी कलेक्टर कुरूद, को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति कुरूद नियुक्त किया जाता है. श्री बी. एल. गजपाल मंडी समिति कुरूद के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति कुरूद के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

संशोधन आदेश क्रमांक 07

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7991.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7717-7718, रायपुर दिनांक 21-02-2011 द्वारा छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2, सहपठित धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश के सरल क्रमांक 17 में दर्शित कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जशपुरनगर के लिए भारसाधक अधिकारी के रूप में, त्रुटिवश श्री सतीश कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि पत्थलगांव टंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए एतद्द्वारा, श्री सतीश कुमार सिंह, के स्थान पर संतोष कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी कृषि पत्थलगांव को भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव नियुक्त किया जाता है. श्री संतोष कुमार सिंह, मंडी समिति पत्थलगांव के कालावधि के अवसान तिथि के आगामी तिथि के पूर्वान्ह को मंडी समिति पत्थलगांव के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे.

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 21-02-2011 में वर्णित शेष सभी ब्यौरे यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र./बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/8047.—कार्यालयीन संशोधन आदेश-05 क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार. अधिकारी/10-11/7921, रायपुर दिनांक 24-02-2011 द्वारा श्रीमती पद्मनी भोई डिप्टी कलेक्टर धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके परिपालन में उनके द्वारा दिनांक 27-02-2011 को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के भारसाधक अधिकारी के रूप में पद्भार ग्रहण कर लिया है.

कलेक्टर, जिला धमतरी का पत्र दिनांक 28-02-2011 एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति धमतरी का पत्र दिनांक 01-03-2011 से अवगत कराया गया है कि श्रीमती पद्मनी भोई, डिप्टी कलेक्टर एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति धमतरी दिनांक 07-03-2011 से मातृत्व अवकाश पर जाने का आवेदन दिया है. अत: उनके अवकाश में जाने के फलस्वरूप, छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक श्रीमती पद्मनी भोई डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर श्री अनिल शर्मा, एस.डी.एम. धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

श्री अनिल शर्मा एस.डी.एम. धमतरी, श्रीमती पद्मनी भाई डिप्टी कलेक्टर से कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के भारसाधक अधिकारी का प्रभार ग्रहण करेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनिल कुमार साहू,
प्रबध संचालक.

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी
(रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2011

क्रमांक 1849/यो.शा./वि.प्रा./11.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन इन्द्रप्रस्थ फेस-2, रायपुरा क्षेत्र के लिए यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए

एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, अर्थात् :—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

उक्त नगर विकास स्कीम इन्द्रप्रस्थ फेस-2, रायपुरा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

No. 1849/यो.शा./वि.प्रा./11.—The Town Development Scheme for the area Indraprastha Phase-2, Raipura as approved under sub-section (4) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published for the information of the general public and copies of the said scheme are available for inspection during office hours at the following offices namely :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajrang Hotel, Shastri Chowk Raipur.
2. Joint Director, Town & Country Planning Raipur

The said Town Development Scheme Indraprastha Phase-2, Raipura shall come into operation with effect from Publication in Chhattisgarh Rajpatra.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), सरगुजा, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्रमांक 2935/खनिज/2011.—श्री बलराम गुप्ता को ग्राम चंगोरी के ख. नं. 195/25 रकबा 0.445 हे. क्षेत्र पर अवधि 19-7-2005 से 18-7-2010 तक के लिए चूना पत्थर (क्रेशर) हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत थी. किन्तु आवेदक द्वारा स्वीकृत उत्खनि पट्टा के कालातीत होने के एक वर्ष पूर्व नवकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. स्वीकृत क्षेत्र में चूना पत्थर उपलब्ध है जो अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 के अंतर्गत आता है.

छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 12 में यह लेख है कि अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 4 खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व निर्धारित हो या धारण किया जा रहा हो तो तब तक कोई आवेदन नहीं किया जायेगा जब तक कि वह तारीख जिससे ऐसा क्षेत्र पट्टा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा-अग्रिम में कम से कम 30 दिन पूर्व शासकीय राजपत्र में अधिसूचित न कर दिया गया हो. अस्तु राजपत्र में प्रकाशन हेतु क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	ग्राम व तहसील	खनिज का नाम	खसरा नं.	रकबा हे. में	भूमि का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम चंगोरी तहसील लुण्ड्रा	चूना पत्थर	195/25	0.445	निजी	आवेदक द्वारा नवकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्षेत्र उपलब्ध हो गया है.

अतः आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस पश्चात् यह क्षेत्र उत्खनि पट्टा हेतु उपलब्ध हो सकेगा.

धनंजय देवांगन,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/2888/अधीक्षक/2011.—पूर्व कार्य विभाजन 13-09-2010 तथा 19-01-2011 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

1. **श्री अभय कुमार मिश्रा (रा.प्र.से.),**
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा

1. **वित्त एवं स्थापना का संपूर्ण प्रभार**
अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
2. नोडल अधिकारी — राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा
3. नोडल अधिकारी — खाद्य शाखा
4. नोडल अधिकारी — भू-अभिलेख शाखा
5. नोडल अधिकारी — सामान्य निर्वाचन शाखा/स्थानीय निर्वाचन शाखा
6. नोडल अधिकारी — आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा
7. नोडल अधिकारी — महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा
8. पासपोर्ट
9. लायसेंस
10. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
11. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
12. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
13. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्रीमती हीना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर**

1. नगर दण्डाधिकारी — थाना बालको/कोरबा क्षेत्र के लिए
2. प्रतिलिपि शाखा
3. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
4. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
5. आवक जावक
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
7. दंगा पीड़ित 1984
8. जिला शहरी विकास अभिकरण
9. सूचना के अधिकार
10. सहायक अधीक्षक (विविध)
11. 20 सूत्रीय
12. पर्यावरण शाखा
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
14. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल
15. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. वित्त स्थापना
2. सामान्य निर्वाचन

3. स्थानीय निर्वाचन
4. भू-अभिलेख शाखा
5. राजस्व मोहर्रिर
6. जिला नाजिर
7. नवोदय विद्यालय
8. कम्प्यूटर शाखा
9. राजस्व आंकिक
10. सिटीजन हेल्प लाइन
11. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
12. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
13. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण
14. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

शेष कार्य विभाजन आदेश यथावत् रहेंगे.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.